न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :— 182 / 2021

1. कलूराम पुत्र बिडदाराम जाति मेघवाल निवासी रताउ तहः लाडनू जिला नागौर
.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।
.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एल. आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 20.07.23

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता बिडदाराम पुत्र हरदेवाराम जाति मेघवाल निवासी रताउ तहसील लाडनू जिला नागौर के नाम जरिये बैयनामा के खरीदशुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 केएनडी मु0नं0 152 / 36 के किला नं0 1 ता 23 की 22.10 बीघा यानि 5.6902 हैक्टर कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में प्रार्थी के पिता का 1 / 2 हिस्सा रकबा बनता था। प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के उपरान्त प्रार्थी के पिता का रकबा जरिये वारिस प्रमाण पत्र व मृत्युप्रमाणपत्र प्रार्थी के पिता के जायज विधिक वारिसों कलाराम व सुखराम पिसरान बिडदाराम के नाम से प्रत्येक का 1 / 2—1 / 2 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में नाम कलूराम है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कलाराम की जगह कलूराम दुरुस्त करने निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा वादपत्र के पक्ष में आधारकार्ड, परिचयपत्र, जमाबंदी व जनाधार कार्ड, नामान्तरण प्रतियां प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का नाम कलूराम अंकित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम कलाराम की जगह कलूराम उर्फ कलाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 25 केएनडी मु0नं0 152 / 36 के किला नं0 1 ता 23 की 22.10 बीघा यानि 5.6902 हैक्टर कमाण्ड रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कलाराम की जगह कलूराम उर्फ कलाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)